

21/11/18

पत्रावली पेय हुयी। उग्रयपक्ष उपस्थित
जवाब हेतु जवाब चाहते हैं जो दिया
जाता है। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक
12/3/18 को पेय है।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर कोड़ा

22/11/18

वादी द्वारा आवेदन पेश करने पर पत्रावली की प्रतियां तलब
की गई। वादी द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा
निवेदन किया कि वे उक्त प्रकरण में आगे कोई
कार्यवाही नहीं चाहता हैं। वादी द्वारा उक्त प्रकरण में
शाजिनामा हो जाने से कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं
उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही अतः प्रकरण
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली केसल
सुमार होकर नम्बर से कम की जाने के दफ्तर वास्ते
हो।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर कोड़ा

श्रीकृष्ण लालजी साहू
18/11/18

कोड़ा